

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि०प्र०।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-12 4 APR 2023,

विषय: **Diversion of 0.4047 hectare of forest land in favour of I & PH Department, Himachal Pradesh for the construction of Septage Treatment Plant at Sakoh, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/others/50258/2020).**

महोदय,

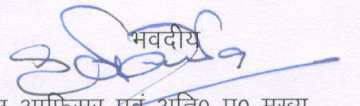
आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/09/43/2021 दिनांक 15/09/2022के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
2. परियोजना के लिए गैर वन भूमि नहीं ली गई है। जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 810 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जहां व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
(ख) वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है।
(ग) प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**
क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
5. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08. 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
6. The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval.
7. FRA certificate has been uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
8. इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

9. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा, प्रस्ताव के अनुसार पातन किए जाने वाले पेड़ों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई अपरिहार्य स्थिति में राज्य वन विभाग की सख्त निगरानी में ही होगी।
11. The cost of SMCP has been realized from user agency as per stipulations imposed.
12. आस-पास के क्षेत्र व वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट में direct access हेतु NH Authority HPPWD द्वारा प्रदान किए गए NoC में निर्धारित शर्तों की अनुपालना की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
14. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **3847732/- ₹0**, तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **406808/- ₹0**, Soil & Moisture Conservation Plan की राशी **562100/- ₹0**, जो कुल **1353640/- ₹0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
15. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
16. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
17. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
19. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
22. केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
23. इससे सम्बन्धित वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
25. इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।


 नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
 अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0